राजस्थान–सरकार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर–302015

फोन नम्बर 0141–2973804, 2988946 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउ.(सत्र 2018–19)/2018/2855 **दिनांकः–** 26-11-18

सार्वजनिक सूचना

विषयः– सत्र 2018–19 में तृतीय ऑन लाईन काउन्सलिंग पश्चात् रिक्त रही सिटों पर प्रवेश के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर याचिका संख्या SB Civil Writ Petition No. 23185/2018 के आदेश दिनांक 25.10.2018 की अनुपालना में राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा पत्र क्रमांक 2810 दिनांक 13.11.2018 के द्वारा प्राईवेट फेडरेशनों से सत्र 2018–19 में विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल महाविद्यालयों/संस्थाओं में तृतीय ऑन लाईन काउन्सलिंग के पश्चात् रिक्त रही सिटों पर इच्छूक अभ्यर्थियों की सूची/आवेदन उपलब्ध करवाने की अनुमति प्रदान की गई है, प्राईवेट फेडरेशनों द्वारा प्राप्त सूची/आवेदनों के अनुसार पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रतानुसार पाठ्यक्रम–महाविद्यालय नियमानुसार ही प्रवेश पत्र आवंटित किये जायेंगे तथा कुछ महाविद्यालयों/प्राईवेट फेडरेशनों द्वारा अपने स्तर पर ही अभ्यर्थियों को प्रवेश देने का प्रयास किया जा रहा है जो कि पूर्णतया अवैद्य (Illegal) है। राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थाओं में प्रवेश का कार्य करने हेतु केवल पैरा मेडिकल कौंसिल ही अधिकृत है।

यदि आपकी महाविद्यालयों/प्राईवेट फेडरेशन द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पैरा मेडिकल कौंसिल की अनुमति बिना प्रवेश दिया जाता है तो उस अभ्यर्थी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका/पैरा मेडिकल कौंसिल में अभ्यर्थियों का. नामांकरण नहीं होने जैसे अन्य वाद/न्यायालय प्रकरण होते है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय/प्राईवेट फेडरेशन की होगी, साथ ही राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल के द्वारा आपकी महाविद्यालय/प्राईवेट फेडरेशन की मान्यता समाप्त करने सहित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि कोई भी महाविद्यालयों/प्राईवेट फेडरेशन अपने स्तर पर प्रवेश देने का कार्य ना करें तथा किसी भी छात्र को प्रवेश देकर छात्र का भविष्य खराब करने के साथ ही अनावश्यक न्यायिक वाद उत्पन्न नहीं होने दें।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जानी सुनिश्चित करें।

26/11/18

(सुनीता चौधरी)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउ.(सत्र 2018–19)/2018/2855 **दिनांकः–** 26-11-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. निजि सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. निजी सहायक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य, संबंद्ध समस्त पैरामेडिकल कॉलेज को पालनार्थ।
7. अध्यक्ष/सचिव, सोसायटी ऑफ प्राईवेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन्स, आगरा रोड, जयपुर को पालनार्थ।
8. अध्यक्ष/सचिव, पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान,सी–18 गिरधारीपुरा, अजमेर रोड़, जयपुर को पालनार्थ।
9. सत्र 2018–19 के समस्त पैरामेडिकल प्रशिक्षण इच्छूक अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
10. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना आज ही वेबसाईट पर अपलोड करें।
11. रक्षित पत्रावली।

26/11/18
रजिस्ट्रार